बिल का सारांश

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) बिल, 2016

- सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण मंत्री थावर चंद गहलौत ने 1 मार्च, 2016 को लोकसभा में संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) बिल, 2016 पेश किया। बिल को 15 मार्च, 2016 को लोकसभा में पारित किया गया। बिल संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में संशोधन करता है।
- संविधान राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियों को विनिर्दिष्ट करे। इसके अतिरिक्त संविधान अधिसूचित अनुसूचित जातियों (एससी) की इस सूची को संसद द्वारा परिवर्तित करने की अनुमति देता है।
- हाल ही में कुछ राज्यों ने इस सूची में कुछ परिवर्तनों को प्रस्तावित किया है। बिल के उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है कि राज्यों द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों को प्रभावी रूप देने के लिए यह बिल पेश किया गया है।
- **हरियाणा में एससीज़ की सूची में शामिल किए गए समुदाय** : हरियाणा राज्य में i) अहेरिया, ii) अहेरी, iii) हरी, iv) हेरी, v) थोरी, vi) तुरी और vii) राय सिख समुदायों को संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची में शामिल किया गया है।
- **केरल में एससीज़ की सूची में शामिल किए गए समुदाय**: केरल राज्य में i) मलयन (कन्नूर, कासरागोड और वायनाड जिलों में), ii) मण्णन, iii) पथियन, iv) पेरुमण्णन, v) पेरूवण्णन, vi) वण्णन और vii) वेलन समुदायों को संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची में शामिल किया गया है।
- **छत्तीसगढ़ में एससीज़ की सूची में शामिल किए गए समुदाय**: छत्तीसगढ़ राज्य में i) सैंस, ii) साहिस, iii) सारथी, iv) सूट-सारथी और v) तंवर समुदायों को उस एंट्री में शामिल किया गया है जिसमें i) घासी और ii) घसिया समुदाय संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची में दर्ज हैं।
- **पश्चिम बंगाल में एससीज़ की सूची में परिवर्तन** : अनुसूची पश्चिम बंगाल राज्य में 'चेन' समुदाय को केवल कुछ ही जिलों (मालदा, मुर्शीदाबाद, नदिया और दक्षिण दिनाजपुर) में एससी के रूप में मान्यता देती है। बिल पूरे राज्य में चेन समुदाय को एससी का दर्जा देने के लिए इस एंट्री को रिप्लेस करता है।
- **ओड़िशा में एससीज़ की सूची से हटाए गए समुदाय**: ओड़िशा राज्य में i) बारिकी और ii) कुम्मरी समुदायों को संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची से हटाया गया है।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

प्रियंका राव
prianka@prsindia.org

18 मार्च, 2016